न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/179/2013

उनवान

1. भैरू आत्मज देवा कहार निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. केली उर्फ कल्ली पत्नी देवा कहार निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. बरदा पिता हजारी फौत के बजायः—
   3/1 देबी आत्मज बरदा कहार निवासी शाहपुरा
   3/2 मोहन आत्मज बरदा कहार निवासी शाहपुरा
   3/3 जमना आत्मज बरदा कहार निवासी शाहपुरा
   3/4 गोपाल आत्मज बरदा कहार निवासी शाहपुरा
   (नाम डिलिट किया गया दिनांक 5.4.2019)
4. मांगी लाल आत्मज हजारी फौत के बजायः—
   4/1 देबी आत्मज मांगी लाल कहार निवासी शाहपुरा
   4/2 दुर्गा आत्मज मांगी लाल कहार निवासी शाहपुरा
   4/3 गोपाल आत्मज मांगी लाल कहार निवासी शाहपुरा
   4/4 नाना आत्मज मांगी लाल कहार निवासी शाहपुरा
5. ग्यारसी आत्मज हजारी कहार निवासी शाहपुरा
6. कल्याण आत्मज हजारी कहार निवासी शाहपुरा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 249/2008 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7.6.2013

अधिवक्तागण :—

1. श्री रमेश चेचाणी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. प्रत्यर्थी संख्या 3 से 6 अनुपस्थित
2 श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिनांक 18.6.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण भैरू के पिता व केली उर्फ कल्ली के पति देवा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के भतीजा हैं जो संयुक्त परिवार में रहते हैं। देवा जी का स्वर्गवास हो चुका था व हजारी देवा जी का बडा भाई होने से वादीगण हजारी के साथ ही जीवनयापन करते थे। आराजी नम्बर 3158/ख, 2283 रियासत काल के जमाने से ही श्री देवा व हजारी के संयुक्त खाते में चली आ रही थी पूर्व में राजाधिराज के समय में दोनों का कब्जा था जिसका नाजायज कब्जे का नोटिस दिनांक 6.12.70 व 25. 11.71, को मिसल संख्या 1399/3312 वर्ष 71 से 91 में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत देवा के मरने के पश्चात भैरू व कल्ली वादीगण को संयुक्त नोटिस दिया गया जो बिलानाम होकर आज दिन तक निरन्तर वादीगण के कब्जेकाश्त में चल रही है। उक्त आराजियात कस्बा शाहपुरा में स्थित है। जिसके पुराने नम्बर नियमन की कार्यवाही के तहत संवत 2026 से 2029 तक की जमाबंदी के अनुसार भी हजारी व भैरू व पूर्व रेकार्ड से दर्ज मु0 केली उर्फ कल्ली के नाम दर्ज है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड देखने से मालूम हुआ कि वादग्रस्त आराजियात हजारी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के नाम दर्ज हो गई है। जो राजस्व अधिकारियों की गलती से दर्ज हो गई है। जबकि हजारी व देवा दोनों भाई थे व भैरू नाबालिग था । मु0 केली अभी भी जीवित है व हजारी ही परिवार का कर्ता था। हजारी बडे भाई थे इसलिए उनके नाम दर्ज करवा ली। हजारी के स्वर्गवास होने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के नाम दर्ज हो गई जो राजस्व अधिकारियों की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कानूनी भूल से दर्ज हुई है। वादीगण वादग्रस्त आराजियात के 1/2 हक हिस्से के हकदार है एवं आधे हिस्से के हकदार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 है। जबकि दोनों का सामलाती कब्जा चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजियात के वादीगण बटाईदार होकर हिस्से अनुसार बंटवाडा कराने के अधिकारी है व राजस्व रेकार्ड में आधा हिस्सा अपने नाम पर दर्ज कराने के अधिकारी है। पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। वादीगण के कब्जेसुदा आराजी के पडौस पूर्व में :– ईसाक मोहम्मद, पश्चिम में :– हजारी के वारिसान प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 3 से 6 , उत्तर में :– करण सिह जी , दक्षिण में :– हिम्मत सिंह जी । वादीगण की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये अधिवक्ता नोटिस भिजवाये । जिसकी रसीदें भी प्रस्तुत की गई है।

2. अभी बरसात का समय चल रहा है तथा फसल की बुवाई होनी है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 9 का नाम राजस्व रेकार्ड में होने से वे वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। जिसका कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण 3 से 6 वादीगण को उनके कब्जे काश्त की पेरा संख्या तीन में वर्णित आराजियात से बेदखल नहीं करें न करावें। अतः कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजियात में वादीगण व प्रतिवादीगण के आपस में बंटवाडा कर आधा–आधा हिस्सा दर्ज किया जावे व मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार बराबर–बराबर हिस्सा किया जावे व अलग–अलग हिस्सा दर्ज किया जावे व इस आशय का राजस्व रेकार्ड में संशोधन कर वादीगण को आधे हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इस आशय की इन्द्राज दुरूस्ती का आदेश कर वादीगण के पक्ष में आधा हिस्सा का खातेदार घोषित करने की डिकी प्रदान की जावे। वादीगण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के कब्जेकाश्त की कृषि आराजी जिसके पडौस पेरा संख्या तीन में वर्णि हैं के कब्जेकाश्त में प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6 किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें न करावें तथा न ही प्रतिवादीगण वादीगण को बेदखल करें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रदान की जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादीगण का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण / वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी संख्या 3 से 6 के अनुपस्थित रहने से अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी संख्या 1 के पिता एवं अपीलार्थी संख्या 2 के पति देवा जी एवं रेस्पोडेण्टगण संयुक्त परिवार के सदस्य थे। देवा जी के स्वर्गवास हो जाने के बाद बडे भाई हजारी के साथ अपीलाण्ट जीवनयापन करते थे। रियासत कालीन वादग्रस्त आराजी संख्या 3158 / ख, 2283 पर कब्जाकाश्त व संयुक्त स्वामित्व पक्षकारान का था। जिसके बारे में अतिक्रमण की कार्यवाही धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत संवत 2026 से 2029 के दौरान नियमन होकर उक्त आराजियात गत रेकार्ड में केली उर्फ कल्ली के नाम दर्ज है। हजारी एवं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

देवा दोनों सगे भाई होकर हजारी बडा होने से परिवार का कर्ता था। हजारी के फौत होने के बाद उसके वारिसान रेस्पोडेण्ट संख्या 3 लगायत 6 के नाम भूमि दर्ज कर दी गई। जबकि अपीलाण्ट/वादीगण उपरोक्त भूमि में से आधे हिस्से के हकदार होकर राजस्व रेकार्ड में आधे हिस्से से अपना नाम अभिलिखत कराने व अपने हिस्से का विभाजन कराकर कब्जा पाने के अधिकारी हैं, इस आशय का हिस्से का विभाजन का वाद अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो प्रथमतः साबित होकर अपीलाण्ट के पक्ष में डिक्री किये जाने योग्य था। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाना विवेचन करते हुए वाद पत्र को खारिज करने मे भारी अवैधानिकता की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये वाद पत्र में अंकित तथ्यों का प्रतिवादीगण/रेस्पोडेण्ट्स की ओर से कोई जवाब दावा भी पेश नहीं किया गया । इस प्रकार वाद पत्र में अंकित तथ्यों को इंकारी नहीं करने की परिस्थिति में वाद पत्र में अंकित तथ्य स्वीकृत होकर आदेश 8 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार वाद पत्र को डिक्री करने के अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के पास अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होते हुए भी वाद पत्र खारिज करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट्स की ओर से वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के अतिरिक्त वादी स्वयं एवं स्वतंत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

साक्षीगण रामनिवास पिता श्रीकृष्ण कहार, गोपाल आत्मज नाना कहार, मोहन आत्मज श्रीकेला कहार एवं खाना पिता जीवण गाडरी को बतौर साक्षीगण उनके कथन संशपथ लेखबद्ध कराये जिनका कोई खण्डन प्रतिवादीगण की ओर से नहीं होने से वादीगण की अखण्डित रही साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर आई साक्ष्य को पूर्णतया नजरअंदाज करते हुए मामले का मनमाना विवेचन कर वादीगण के वाद पत्र को खारिज करने में गम्भीर त्रुटि की है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर हजारी के साथ श्री देवा का कब्जाकाश्त एवं उपयोग उपभोग होना धारा 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नोटिस एवं वादीगण की साक्ष्य से प्रमाणित तथ्य हैं एवं उनके कब्जे के आधार पर नियमन भी सभी कब्जाधारियों के नाम से होना था, तदनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि में देवा के वारिसान वादीगण 1/2 हिस्से के हकदार होकर भूमि अपने नाम पर दर्ज कराने व अपना हिस्सा विभाजित कराने के अधिकारी है। इस प्रकार वादीगण का वाद पत्र डिक्री योग्य होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त की जाकर तथा अपीलार्थीगण/वादीगण का वादपत्र रेस्पोडेण्ट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री फरमाया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

9. प्रत्यर्थीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने एवं प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता फोर्मल पक्षकार होने से अधिवक्ता अपीलार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेजात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया ।

10. अपीलार्थीगण का कथन है कि अपीलार्थी संख्या 1 के पिता एवं अपीलार्थी संख्या 2 के पति देवा जी एवं रेस्पोडेण्टगण संयुक्त परिवार के सदस्य थे। देवा जी के स्वर्गवास हो जाने के बाद बडे भाई हजारी के साथ अपीलाण्ट जीवनयापन करते थे। रियासत कालीन वादग्रस्त आराजी संख्या 3158/ख, 2283 पर कब्जाकाश्त व संयुक्त स्वामित्व पक्षकारान का था। जिसके बारे में अतिक्रमण की कार्यवाही धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत संवत 2026 से 2029 के दौरान नियमन होकर उक्त आराजियात गत रेकार्ड में केली उर्फ कल्ली के नाम दर्ज है। हजारी एवं देवा दोनों सगे भाई होकर हजारी बडा होने से परिवार का कर्ता था।

11. अपीलार्थीगण का यह भी कथन है कि हजारी के फौत होने के बाद उसके वारिसान रेस्पोडेण्ट संख्या 3 लगायत 6 के नाम भूमि दर्ज कर दी गई। जबकि अपीलाण्ट/वादीगण उपरोक्त भूमि में से आधे हिस्से के हकदार होकर राजस्व रेकार्ड में आधे हिस्से से अपना नाम अभिलिखत कराने व अपने हिस्से का विभाजन कराकर कब्जा पाने के अधिकारी हैं । प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब दावा भी अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुंत कर वाद पत्र का खण्डन नहीं किया । इस प्रकार वाद पत्र में अंकित तथ्यों

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को इंकारी नहीं रकने की परिस्थिति में वाद पत्र में अंकित तथ्य स्वीकृत होकर आदेश 8 नियम 5 सिविल प्रकिया संहिता के अनुसार वाद पत्र को डिक्री करने के अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के पास अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था।

12. अपीलाण्टगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजियात पर रियासतकाल में वादीगण संयुक्त कब्जाकाश्त होने एवं उसके बाद वादग्रस्त आराजियात बिलानाम दर्ज होने के वक्त अपीलार्थीगण के पूर्वज देवा जी व हजारी जी का संयुक्त परिवार के रूप में रहने के कारण एवं रियासत कालीन समय में वादग्रस्त आराजी संख्या 3158/ख, 2283 पर कब्जाकाश्त व संयुक्त स्वामित्व होने से धारा 91 एल आर एक्ट के नोटिस संयुक्त रूप से दिये गये । परन्तु वादग्रस्त आराजी बिलानाम आवंटन योग्य होकर विवादित आराजियात का आवंटन अकेले हजारी के नाम पर होने का तथ्य स्वयं अपीलार्थीगण स्वीकार करते हैं। वादग्रस्त आराजी का आवंटन हजारी के नाम पर होना अपीलाण्ट ने स्वीकार किया है अतः ऐसी स्थिति मे अपीलार्थीगण को चाहिये था कि हजारी के नाम पर हुए आवंटन आदेश के के दस्तावेज भी वाद मे प्रस्तुत करते।

13. अपीलाण्ट के कथनानुसार भूमि बिलानाम दर्ज होकर हजारी जी को वादग्रस्त भूमि आवंटन से प्राप्त हुई है जो संयुक्त परिवार की नहीं मानी जा सकती है अपितु हजारी की स्वअर्जित आराजियात ही मानी जा सकती है। अपीलार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह तथ्य प्रमाणित हो कि वादग्रस्त आराजी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हजारी के नाम पर किस आधार पर आई। हजारी के नाम पर हुए आवंटन के दस्तोवजो से ही आवंटन की स्थिति स्पष्ट हो सकती है परन्तु अपीलार्थीगण द्वारा हजारी को आवंटित आराजी जो कि वर्तमान में उसके वारिसान प्रत्यर्थीगण के नाम पर दर्ज है जिसमें से 1/2 हक अधिकार की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। यद्यपि अपीलाधीन प्रकरण में प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे कोई जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र का प्रतिरोध नहीं किया गया है एवं न्यायालय हाजा में उपस्थित भी नहीं हुए हैं परन्तु फिर भी किसी खातेदार काश्तकार की स्वअर्जित आराजी में कब्जे के आधार पर 1/2 हक हिस्से की खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। वादग्रस्त आराजियात उभयपक्ष की पुश्तैनी नही होकर प्रत्यर्थीगण के पूर्वज हजारी के नाम आवंटित भूमि है । अपीलार्थीगण ने वादग्रस्त आराजियात पर 1/2 भू भाग पर अपना कब्जा होने के संबंध में गवाहान के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये हैं जिनसे प्रतिवादीगण की ओर से जिरह नही की गई है । विवादित आराजियात में विरासत से हजारी के वारिसान का नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड में है। बिलानाम से आवंटन के दस्तावेजी साक्ष्यों की अनुपलब्धता में अपीलाण्ट के दावे की सत्यता का परीक्षण संभव नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा बरवक्त आवंटन बिलानाम भूमि में से आवंटन का प्रार्थना पत्र दिया अथवा नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है। अतः अपीलार्थीगण को मात्र अप्रमाणित कब्जे के आधार पर 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कानूनन नहीं किया जा सकता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है। अधिनस्थ न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय वं डिक्री दिनांक 7.6.2013 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

15. निर्णय आज दिनांक 18.6.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/179/2013

उनवान

1. भैरू आत्मज देवा कहार निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. केली उर्फ कल्ली पत्नी देवा कहार निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. बरदा पिता हजारी फौत के बजायः—

3/1 देबी आत्मज बरदा कहार निवासी शाहपुरा
3/2 मोहन आत्मज बरदा कहार निवासी शाहपुरा
3/3 जमना आत्मज बरदा कहार निवासी शाहपुरा
3/4 गोपाल आत्मज बरदा कहार निवासी शाहपुरा
(नाम डिलिट किया गया दिनांक 5.4.2019)

4. मांगी लाल आत्मज हजारी फौत के बजायः—

4/1 देबी आत्मज मांगी लाल कहार निवासी शाहपुरा
4/2 दुर्गा आत्मज मांगी लाल कहार निवासी शाहपुरा
4/3 गोपाल आत्मज मांगी लाल कहार निवासी शाहपुरा
4/4 नाना आत्मज मांगी लाल कहार निवासी शाहपुरा

5. ग्यारसी आत्मज हजारी कहार निवासी शाहपुरा
6. कल्याण आत्मज हजारी कहार निवासी शाहपुरा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 249/2008 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7.6.2013

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/179/2013** मे **उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैः

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

यह अपील तारीख 18.6.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री अर सी चेचाणी वकील एवं प्रत्यर्थीगण की अनुपस्थित में राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 18.6.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय वं डिक्री दिनांक 7.6.2013 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 18.6.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप साथर)
भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस